

विश्राम कक्ष

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

दिनांक- 03 12 2020

नोटिस


बनाम

श्री मनोज कुमार साहू ( पेशकार )

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) झाँसी, ( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

आज दिनांक- 03. 12. 2020 को रीडर द्वारा कॉज लिस्ट प्रस्तुत की गयी । इस कॉल लिस्ट में 30 पत्रावलियाँ दर्शित हो रही है । अर्दलीगण से पत्रावलियों में पुकार लगाये जाने के बावत कहा गया तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि पत्रावलियाँ उपलब्ध नहीं हैं । इस संबंध में रीडर से मौखिक रूप से पूछा गया तो रीडर द्वारा भी अवगत कराया गया कि कार्यालय लिपिकगण द्वारा कोई भी पत्रावली अभी तक प्रस्तुत नहीं की गयी है । इस समय समय लगभग 11 बजे रहे है और अभी भी पत्रावलियाँ न्यायालय कक्ष में मौजूद नहीं हैं । अतः रीडर अपनी आख्या आज ही प्रस्तुत करें कि न्यायालय में पत्रावलियाँ अभी तक क्यों नहीं आयी हैं ।

मैंने गठित किया गया न्यायालय के लिए न्यायाधीश को जांचो

  
03-12-2020  
( विमल प्रकाश आर्य )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय ) झाँसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित )

Filed  
03-12-20  
11:22 AM

10/11

सेवा में,

श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ०टी०सी०), झांसी  
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित)।

विषय- नोटिस दिनांक- 03.12.2020 के संबंध में आख्या/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने बाबत।

महोदय,

नोटिस दिनांकित-03.12.2020 के संबंध में ससम्मान निवेदन यह है प्रार्थी को दिनांक-03.12.2020 की कॉज लिस्ट में दर्शित हो रही पत्रावलियां दिनांक-02.12.2020 को सायं काल न्यायालय बन्द होने के समय तक कार्यालय से प्रेषित नहीं की गई थी एवं अगले दिवस सुबह 11 बजे तक कार्यालय बन्द था तदोपरांत कार्यालय लिपिकगणों द्वारा पत्रावलियां समय- 11:25AM पर न्यायालय में कॉज लिस्ट पर समय अंकित कर प्रेषित की गई, जिस कारणवश पत्रावलियां पुकार हेतु न्यायालय में उपलब्ध करायी नहीं जा सकी थी, जिसके लिये प्रार्थी क्षमा प्रार्थी है।

अतः महोदय से सादर निवेदन है कि प्रार्थी को उक्त कारित भूल के संबंध में क्षमा करने की कृपा करें। आख्या महोदय के सेवा में सादर प्रेषित है।

दिनांक-03.12.2020

प्रार्थी  
03-12-20

मनोज कुमार साहू  
(रीडर/पेशकार)

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
(एफ०टी०सी०), झांसी।  
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित)।

विषय संख्या

न्यायाधीश अवर न्यायाधीश ( F. T. C. ) इलाहाबाद

( चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित )

दिनांक ( 05.10.2021 )

नोटिस

बनाम

श्री मनोज कुमार साहू, द्वितीय ( पेशकार )

विषय:- बिना किसी सूचना के न्यायालय से अनुपस्थित रहने के संबंध में।

अवगत कराया जाता है कि आप बिना किसी सूचना के न्यायालय कार्य अवधि के दौरान प्रातः 10 30 बजे से 11. 10 बजे तक अनुपस्थित हैं। आपके अनुपस्थित रहने बावत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संगीता पटेल से पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा अवगत कराया गया कि आप न्यायालय एस०सी०/ एस०टी० एक्ट में गये हुए हैं।

अतः आप आज ही अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि आप बिना किसी सूचना के न्यायालय कार्य अवधि के दौरान क्यों और किस कारण से अनुपस्थित रहे।

5.10.21

65.10.2021

( विमल प्रकाश आर्य )

अपर सत्र न्यायाधीश, ( F. T. C. ) इलाहाबाद।

( चौदहवीं वित्तीय आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी ।

( चौहदवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

सत्र परीक्षण सं०- 238/ 2019

( JO Code- UP6488)

सरकार

बनाम

करन सिंह उर्फ भज्जू

**दिनांक- 05. 10. 2021**

पत्रावली पेश हुयी । अभियुक्त करन सिंह द्वारा वी०सी० जेल से उपस्थित । साक्षी पी०डब्लू०- 5 रानू यादव वास्ते शेष प्रतिपरीक्षा उपस्थित । साक्षी सुरेन्द्र सिंह यादव उपस्थित व प्रार्थनापत्र 16B जमानतीय वारण्ट को निरस्त करने हेत प्रस्तुत किया । प्रार्थनापत्र पर सुना व पत्रावली का अवलोकन किया ।

प्रार्थनापत्र में वर्णित आधार पर्याप्त । साक्षी द्वारा मु०- 10,000/ - रूपये निजी बंधपत्र निष्पादित करने पर जारी जमानतीय वारण्ट का निष्पादन निरस्त किया जाता है । साक्षी पी०डब्लू०- 5 से प्रतिपरीक्षा हेतु अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित नहीं । अतः आज की कार्यवाही स्थगित करने पर अभियुक्त पर मु०- 200/ - रूपये हर्जा अधिरोपित किया जाता है । नियत तिथि पर हर्जा अदा कर साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जाए । अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता स्वयं सूचित हो । पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि पेशकार द्वारा सूची पत्र में साक्षी सुरेन्द्र सिंह यादव द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 16B को सूचीबद्ध किया गया, किन्तु उसका कोई उल्लेख आदेश पत्र में नहीं किया और न ही प्रार्थनापत्र 16B मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया और न ही इस तथ्य का कोई उल्लेख आदेश पत्र में किया कि साक्षी पी०डब्लू०- 5 वास्ते जिरह व साक्षी सुरेन्द्र सिंह यादव उपस्थित । पेशकार का उक्त कृत्य घोर लापरवाही व कार्य की शिथिलता की श्रेणी में आता है । अतः पेशकार को भविष्य के लिए आदेशित किया जाता है कि जिस किसी पत्रावली मे किसी पक्षकार द्वारा जो भी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जाता है उसे सूचीबद्ध कर मेरे समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें तथा कार्य सावधानी व सतर्कता से करना सुनिश्चित करें । पत्रावली दिनांक- 16. 10. 2021 को वास्ते शेष प्रतिपरीक्षा साक्षी पी०डब्लू०- 5 व शेष साक्ष्य हेतु पेश हो ।

दिनांक- 05. 10. 2021

( विमल प्रकाश आर्य )

अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ) झाँसी ।

( चौहदवी वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य  
अपर जिला न्यायाधीश ( वरिष्ठ न्यायालय) झाँसी  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित ) ।

सेवा में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय  
झाँसी ।

विषय:- रीडर द्वारा अपने कर्तव्यों से बचने के लिए व न्यायिक कार्य प्रभावित करने के उद्देश्य से अर्जित अवकाश का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने व कु० खुशनुमा कनिष्ठ सहायक द्वारा न्यायिक कार्य में व्यवधान कारित करने के आशय से प्रस्तुत आकस्मिक अवकाश प्रार्थनापत्र के संबंध में ।

महोदय

ससम्मान निवेदन करना है कि आज दिनांक- 06. 10. 2021 को प्रातः 10 बजे जब मैं न्यायालय पहुँचा तो मेरे विश्राम कक्ष में कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका प्रस्तुत की गयी, जिसमें पेशकार मनोज कुमार साहू- द्वितीय द्वारा दिनांक- 06. 10. 2021 से 15. 10. 2021 तक स्वयं के इलाज के बावत अर्जित अवकाश का प्रार्थनापत्र तथा तृतीय श्रेणी कर्मचारी कु० खुशनुमा द्वारा आकस्मिक अवकाश का प्रार्थनापत्र अस्वस्थता के आधार पर उपस्थित पंजिका में रखा हुआ पाया गया । मेरे द्वारा अपने आशुलिपिक श्री मोहित कुमार से न्यायालय कक्ष व कार्यालय कक्ष खोले जाने के संबंध में व उपस्थित पंजिका में प्रस्तुत उपरोक्त दोनों आवेदन पत्रों के संबंध में पूछताछ की गयी तो आशुलिपिक द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यालय कक्ष की चाबी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी श्री मोहित शर्मा द्वारा दी गयी और श्री मोहित शर्मा द्वारा पूछताछ की गयी तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि कु० खुशनुमा ने यह चाबी दिनांक- 05. 10. 2021 को सांय काल में दी थी । उपस्थित पंजिका में संलग्न अर्जित अवकाश के प्रार्थनापत्र व आकस्मिक अवकाश के प्रार्थनापत्र के बावत पूछताछ की गयी तो आशुलिपिक द्वारा अवगत कराया गया किया कि मनोज कुमार साहू- द्वितीय का अर्जित अवकाश व कु० खुशनुमा का आकस्मिक अवकाश का प्रार्थनापत्र किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ने दिया है, जिनके नामों उसे कोई जानकारी नहीं है ।

चूँकि न्यायालय के वरिष्ठ लिपिक श्री बाल्मीकि साहू दिनांक- 04. 10. 2021 से 13. 10. 2021 तक अर्जित अवकाश पर हैं । इस तथ्य की जानकारी श्री मनोज कुमार साहू- द्वितीय पेशकार व कु० खुशनुमा सहायक लिपिक को पूर्ण रूप से है । इसके बावजूद उक्त दोनों कर्मचारीगण द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करते हुए न्यायिक कार्य में व्यवधान कारित करने से आशय से अपना- अपना प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है ।

इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि दिनांक- 05. 10. 2021 को पेशकार द्वारा सत्र परीक्षण सं०- 238/ 2019 में साक्षी द्वारा प्रस्तुत जमानतीय वारण्ट को निरस्त करने के बावत प्रार्थनापत्र सूचीपत्र में चढ़ाया गया था, लेकिन उसका कोई उल्लेख आदेश पत्र में नहीं किया और न ही प्रार्थनापत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किया । जब साक्षी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा सांय काल में मेरे समक्ष यह तथ्य संज्ञान में लाया गया तब ज्ञात हुआ कि पेशकार द्वारा गलत तरीके से आदेश पत्र अंकित किया गया जिस बावत मेरे द्वारा उक्त पत्रावली में विस्तृत आदेश पारित किया गया ।

10/1

माननीय महोदया को अवगत कराना है कि पेशकार द्वारा कार्य करने में अत्यधिक लापरवाही और घोर शिथिलता कारित की जा रही है और न्यायिक कार्य में व्यवधान कारित किया जा रहा है तथा कु० खुशनुमा द्वारा भी न्यायिक कार्य में सहयोग न कर न्यायिक कार्य में व्यवधान कारित किया गया, जिसका आकस्मिक अवकाश मेरे द्वारा निरस्त कर दिया गया है और संबंधित कर्मचारी को सूचित किये जाने के बावत न्यायालय के अन्य कर्मचारी को अवगत कर दिया गया है। लेकिन उक्त कर्मचारी समय 11 बजे तक उपस्थित नहीं आयी है।


इस प्रकार मेरे न्यायालय में आज दिनांक- 06. 10. 2021 को पेशकार व कार्यालय लिपिक के रूप में कार्य करने हेतु कोई कर्मचारी उपस्थित नहीं है। अतः निवेदन है कि उक्त कर्मचारीगण के गैर हाजिर रहने की अवधि तक कार्यालय लिपिक व पेशकार के रूप में अन्य कर्मचारी की नियुक्ति करने की कृपा करें, जिससे न्यायिक कार्य सुचारु रूप से हो सके।

आज दिनांक- 06. 10. 2021 की तिथि को पेश होने वाली कोई भी पत्रावली मेरे न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है।

न्यायालय व कार्यालय कक्ष की चाबियाँ उक्त पेशकार व लिपिक द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को दी गयी जो कि चाबी लेने के लिए व न्यायालय एवं कार्यालय कक्ष खोलने के लिए अधिकृत नहीं है। अतः माननीय महोदया से निवेदन है कि उक्त तृतीय श्रेणी कर्मचारीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों के कारण न्यायिक कार्य व्यवधानित करने व गैर जिम्मेदारी से चाबियाँ चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को सुपुर्द करने व न्यायालय एवं कार्यालय कक्ष को खोले जाने के बावत उक्त दोनों कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जाँच कर दण्डित करने की कृपा करें।

सूचना माननीय महोदया की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय

  
06.10.2021  
(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 06. 10. 2021

अपर जिला न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय) झाँसी।

(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

संलग्नक:-

उक्त कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मूल (02)।

  
06.10.21  
अरु 12.10



की मान जी बात! कान से लन्च के बाद तक सशासनिक कार्यालय में मैं कई बार गई किन्तु कहीं ने नहीं प्राप्त किया!  
S.M.P.

की मान जी जे मैं प्रिविक अपेक्षा से मे पुचा लेन्च के बाद गई जिसे 3:10 पर प्राप्त किया गया!  
S.M.P.

10/2

दि० 06-10-21

दि० 06-10-21

समय 2:10

अधिक लापरवाही  
है तथा कुं  
जिसका  
भावत

# अवकाश के लिए व नगदीकरण के लिए आवेदन पत्र

(Form of Application For the Encashment leave)

टिप्पणी (1) मद 1 से 10 तक की प्रविष्टियां सभी आवेदकों द्वारा चाहे वे राजपत्रित अधिकारी हो अथवा अराजपत्रित कर्मचारी द्वारा ही भरा जायेगा।  
(2) मद 10 केवल अवकाश में नगदीकरण के मामले पर होगी।

- (1) आवेदक का नाम मनोज कुमार साहू (दिलीप)
- (2) लागू अवकाश नियम वर्तमान
- (3) पद का नाम पेशावर
- (4) विभाग कार्यालय अपर एस. माध्यमिक विद्यालय, ए. टी. नं. 14, ए. टी. ई. रोड, जिला, जे. पी. ई. ई.
- (5) वेतन
- (6) अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक 06.10.2021 से 15.10.2021 तक

आपेक्षित है तथा उसकी प्रकृति चिकित्सीय प्रकृति

- (7) अवकाश मांगे जाने का कारण स्वयं के इलाज हेतु
- (8) पिछली बार अवकाश किस दिनांक से  
लिया गया उसकी प्रकृति
- (9) अवकाश की अवधि में पता 512 लॉर्ड वॉजर ई. ई.
- (10) ख) क्या 30 दिन एक माह अर्जित अवकाश औसत वेतन  
अवकाश का नगदी करण अपेक्षित है।  
ख) क्या चालू कलन्डर वर्ष में इसके पूर्व अवकाश लिया गया

06-10-21  
आवेदक के हस्ताक्षर

(11) अग्रसारण अधिकारी की अभियुक्ति स्तुति

दिनांक पद का नाम  
(12) फाइनेशियल हैल बुक खण्ड 2 भाग 2 से 4 के सहायक नियम 81 के अनुसार प्राधिकारी की रिपोर्ट।  
क) प्रमाणित किया जाता है कि फाइनेशियल हैड बुक खण्ड 2 के भाग 2 से 4 के मूल नियम या किस सहायक नियम .....  
के अधीन ..... तक आवेदित अर्जित अवकाश/औसत वेतन पर अवकाश देय है।  
ख) प्रमाणित किया जाता है कि मद 10 पर आपेक्षित अवकाश के नगदीकरण की सुविधा अनुमत है।

दिनांक हस्ताक्षर  
पद का नाम  
हस्ताक्षर  
पद का नाम  
अवकाश तथा अवकाश की नगदी करण स्वीकृति करने  
के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश  
दिनांक

श्रीता जी,

श्रीमान अमर गिरी एवं अश्व - शायाधीश, वरिष्ठ  
न्यायालय (चौदहवीं विन्तीय अयोग भोजना-संगत गणित)  
भारती ।

विषय :- आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

सहायमान विवेकन है कि प्रार्थिका का आकस्मिक स्वास्थ्य  
प्रभाव हो जाने के कारण न्यायालय में उपस्थित होने में असमर्थ  
है।

अतः श्रीमान जी से विनम्र विवेकन है कि प्रार्थिका को  
दिनांक - 06/10/2021 का आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने  
की कृपा करें।

आदर सहस्रमाल ।

दिनांक - 06/10/2021

प्रार्थिका  
~~सुप्रभुमा~~  
सुशोभुमा

(अधायक लिपिक)

अपरिजला एवं अश्व न्यायाधीश, वरिष्ठ न्यायालय  
(चौदहवीं विन्तीय अयोग भोजना-संगत गणित)  
भारती ।

06/10/2021  
श्रीमान जी के साथ EL पर लिखते हैं  
कि प्रार्थिका का स्वास्थ्य स्थिति किम्व जात है  
जिस कारणों से अश्व प्रदं अयोग्य कर्तुं किम्व  
अश्व है, स्वास्थ्य-वर्धन के अयोग्य कारणों  
के अलावा प्रार्थिका को अयोग्य का निर्णय करें  
व प्राप्ति करें, न्यायालय में उपस्थित करित न  
हो।

06/10/2021

10/3

दिनांक 06-10-21  
श्रीमान जी मेरे साथ सुशोभुमा  
को उसके मो० न० 6597199-265  
पर भेजा है 10:27 बजे सुशोभुमा के  
जो सर्व है अतः श्रीमान जी के अवकाश  
वादी आ सकते हैं ।

Sen.P.  
960 06-10-21



पेपक

विमल प्रकाश आर्य

अपर जिला न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

सेवा में

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया  
झाँसी ।

विषय:-

आज दिनांक- 06. 10. 2021 को न्यायालय में पेशकार व लिपिक के अनुपस्थित रहने के संबंध में पुनः सूचना ।

महोदया


ससम्मान निवेदन करना है कि आज दिनांक- 06. 10. 2021 को मेरे न्यायालय में पेशकार मनोज कुमार साहू- द्वितीय व कु० खुशनुमा कनिष्ठ सहायक द्वारा क्रमशः अर्जित अवकाश व आकस्मिक अवकाश का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया । इस संबंध में मेरे द्वारा माननीय महोदया को प्रातःकाल में सूचना प्रेषित की जा चुकी है, जिसे प्रशासनिक कार्यालय के किसी कर्मचारी ने अभी तक प्राप्त नहीं किया है । समय लगभग 2. 20 PM हो रहा है और अभी तक मेरे न्यायालय में कार्य करने हेतु किसी पेशकार/ लिपिक की नियुक्त नहीं हो सकी है ।

आज सत्र परीक्षण सं०- 312/ 11 में गवाह जियालाल प्रातः 11. 45 बजे से तथा सत्र परीक्षण सं०- 15/ 19 में गवाह श्रीमती संगीता व सुनील कुमार प्रातः 11. 30 बजे से, सत्र परीक्षण सं०- 415/ 12 में साक्षी सेवानिवृत्त एस०आई० उदयभान सिंह प्रातः 11. 45 बजे से तथा सत्र परीक्षण सं०- 310/ 15 में साक्षी बिहारी लाल व डॉ० एस० अग्रवाल प्रातः 11. 45 से उपस्थित हैं, किन्तु न्यायालय में पेशकार/ लिपिक की नियुक्ति के बावत आदेश न होने के कारण न्यायालय में कोई कार्य नहीं हो सका है और न्यायालय का कार्य अति गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है ।

अतः माननीय महोदया से पुनः निवेदन है कि न्यायालय के पेशकार/ लिपिक को नियुक्त करने की कृपा करने का कष्ट करें, जिससे न्यायिक कार्य सम्पादित किया जा सके ।

पुनः सूचना माननीय महोदया की सेवा में सादर प्रेषित ।

भवदीय

  
06/10/2021  
( विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 06. 10. 2021

अपर जिला न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

10/4

पेशकः विमल प्रकाश आर्य  
अपर जिला न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत पदविना )

सेवा में माननीय जज गवाह न्यायाधीश झाँसी  
झाँसी ।

विषयः आज दिनांक 06 10 2021 को न्यायालय में पेशकार व लिपिक के अनुपस्थित रहने के संबंध में पुनः सूचना ।

महोदया

ससम्मान निवेदन करना है कि आज दिनांक- 06 10 2021 को मेरे न्यायालय में पेशकार मनोज कुमार साहू-द्वितीय व कु० खुशनुमा कनिष्ठ सहायक द्वारा क्रमशः अजित अय्यकर व प्रकल्पिक अवकाश का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया । इस संबंध में मेरे द्वारा माननीय महोदया को त्रतःकाल में सूचना प्रेषित की जा चुकी है, जिसे प्रशासनिक कार्यालय के किसी कर्मचारी ने अभी तक प्राप्त नहीं किया है । समय लगभग 2 20 PM हो रहा है और अभी तक मेरे न्यायालय में कार्य करने हेतु किसी पेशकार, लिपिक की नियुक्त नहीं हो सकी है ।

आज सत्र परीक्षण सं०- 312/ 11 में गवाह जियालाल प्रातः 11. 45 बजे से तथा सत्र परीक्षण सं०- 15/ 19 में गवाह श्रीमती संगीता व सुनील कुमार प्रातः 11. 30 बजे से, सत्र परीक्षण सं०- 415/ 12 में साक्षी सेवानिवृत्त एस०आई० उदयभान सिंह प्रातः 11. 45 बजे से तथा सत्र परीक्षण सं०- 310/ 15 में साक्षी बिहारी लाल व डॉ० एस० अग्रवाल प्रातः 11. 45 से उपस्थित हैं, किन्तु न्यायालय में पेशकार/ लिपिक की नियुक्ति के बावत आदेश न होने के कारण न्यायालय में कोई कार्य नहीं हो सका है और न्यायालय का कार्य अति गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है ।

अतः माननीय महोदया से पुनः निवेदन है कि न्यायालय के पेशकार/ लिपिक को नियुक्त करने की कृपा करने का कष्ट करें, जिससे न्यायिक कार्य सम्पादित किया जा सके ।

पुनः सूचना माननीय महोदया की सेवा में सादर प्रेषित ।

भवदीय



( विमल प्रकाश आर्य )

दिनांक- 06. 10. 2021


अपर जिला न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

## प्रशासनिक कार्यालय: जनपद न्यायाधीश, झांसी ।

### आदेश

श्रीमान अपर जनपद न्यायाधीश (त्वरित न्यायालय, झांसी) द्वारा प्रेषित पत्र दिनांकित 06.10.2021 पर माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश दिनांकित 06.10.2021 के अनुपालन में न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, एफ0टी0सी0 (ओ0ए0डबलू0), झांसी में कार्यरत लिपिक श्री खेमराज को निर्देशित किया जाता है कि वे दिनांक 06.10.2021 व 07.10.2021 को उक्त न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 (14वे वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित), झांसी का कार्य संपादित करें।

सभी संबंधित तदनुसार सूचित हो।

  
प्रशासनिक अधिकारी, 06.10.2021  
जनपद न्यायालय,  
झांसी।

Sum 12:00 PM  
03:30 PM

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य  
अपर सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

सेवा में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया  
झाँसी ।

विषय:- न्यायालय में किसी अन्य तृतीय श्रेणी कर्मचारी को पेशकार के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त  
किये जाने के संबंध में ।

महोदया

ससम्मान निवेदन करना है कि मेरे द्वारा दिनांक- 06. 10. 2021 को श्री मनोज कुमार साहू-  
द्वितीय पेशकार व कु० खुशनुमा कनिष्ठ सहायक के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्रों के संबंध में माननीय महोदय को दो  
पत्र प्रेषित किये गये थे । तत्पश्चात् अपरान्ह 3. 30 बजे प्रशासनिक अधिकारी झाँसी द्वारा एक व्यवस्था आदेश मेरे  
न्यायालय में भेजा गया, जिसमें श्री खेमराज को दिनांक- 06. 10. 2021 व 07. 10. 2021 को कार्य करने हेतु  
अधिकृत किया गया ।

आज दिनांक- 07. 10. 2021 को मेरे न्यायालय में 1. सत्र परीक्षण सं०- 150/ 21 राज्य बनाम  
धर्मेन्द्र में साक्षी एस०आई० महेन्द्र कुमार, 2. सत्र परीक्षण सं०- 119/ 2012 राज्य बनाम अमित कुमार में साक्षी  
एस०आई० शैलेन्द्र सिंह यादव, 3. सत्र परीक्षण सं०- 138/ 12 राज्य बनाम बॉबी उर्फ भूरिया में साक्षी सेवानिवृत्त  
डी०आई०एस०पी० नसीम खान, 4. सत्र परीक्षण सं०- 152/ 19 राज्य बनाम निजाम खाँ में डॉ० विमलेश कुमार  
मिश्रा, 5. सत्र परीक्षण सं०- 260/ 19 राज्य बनाम कृष्णाकांत में साक्षी श्रीमती राजकुमारी, 6. सत्र परीक्षण सं०-  
103/ 18 राज्य बनाम नंदकिशोर में साक्षी कॉ० रोहित प्रजापति व एस० आई० भोले लाल प्रजापति उपस्थित हैं,  
जिसमें सत्र परीक्षण सं०- 152/ 19 राज्य बनाम निजाम खाँ में डॉ० विलमेश कुमार मिश्रा चिकित्सा अधिकारी का  
साक्ष्य मेरे बोलने पर पेशकार श्री खेमराज द्वारा बड़ी मुश्किल से अंकित किया गया और जिसमें बहुत अधिक समय  
उक्त कर्मचारी ने व्यतीत किया और अंत में कर्मचारी ने स्वयं निवेदन किया कि वह बयान लिख पाने में पूर्णतः  
असमर्थ व अक्षम है और किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं लिख सकता ।

अतः माननीय महोदया से निवेदन है कि उक्त कर्मचारी के कार्य कर पाने व बयान लिख पाने में  
असमर्थ व अक्षम होने के कारण किसी अन्य कर्मचारी को यथाशीघ्र नियुक्त करने की कृपा करें । साथ ही यह भी  
अवगत कराना है कि दिनांक- 06. 10. 2021 को उक्त कर्मचारी के संबंध में अत्यधिक विलम्ब से व्यवस्था  
आदेश प्राप्त होने के कारण साक्षीगण का साक्ष्य अंकित नहीं हो सका था । उक्त कर्मचारी प्रातः 11. 45 बजे से  
बिना कोई सूचना दिये गैर हाजिर है ।

भवदीय



07.10.2021

( विमल प्रकाश आर्य )

दिनांक- 07. 10. 2021

अपर सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी ।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

**संलग्नक:-**

उक्त कर्मचारी द्वारा सत्र परीक्षण सं०- 152/ 19 राज्य बनाम निजाम खाँ में समय 11. 15 बजे से 11. 35 बजे  
तक अंकित बयान की छायाप्रति ।

प्रेषक विमल प्रकाश आर्य  
अपर सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

सेवा में माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया  
झाँसी ।

विषय:- आज दिनांक- 07. 10. 2021 को श्री खेमराज के प्रातः 11. 45 बजे से निरंतर गैर हाजिर रहने व कु० खुशनुमा के द्वारा दिनांक- 06. 10. 2021 को प्रस्तुत आकस्मिक अवकाश प्रार्थनापत्र के निरस्त किये जाने के संबंध में ।


महोदया

ससम्मान निवेदन करना है कि प्रशासनिक अधिकारी झाँसी द्वारा एक व्यवस्था आदेश दिनांकित - 06. 10. 2021 के संबंध में श्री खेमराज आज मेरे न्यायालय में पेशकार के रूप में कार्यरत थे और उनके द्वारा प्रातः 11. 15 बजे से 11. 35 बजे तक सत्र परीक्षण सं०- 152/ 19 में डॉ० विमलेश कुमार मिश्रा चिकित्सा अधिकारी का साक्ष्य मेरे बोलने पर बहुत मुश्किल से लिख पा रहे थे और स्वयं उक्त कर्मचारी द्वारा निवेदन किया कि वह बयान लिख पाने में पूर्णतः असमर्थ व अक्षम है और किसी प्रकार का बयान नहीं लिख सकता । तत्पश्चात मेरे द्वारा माननीय महोदया को अविलम्ब सूचना प्रेषित की गयी व अन्य किसी कर्मचारी को पेशकार के रूप में कार्य करने हेतु निवेदन के साथ पत्र प्रेषित किया गया और समय 11. 45 बजे से उक्त कर्मचारी बिना कोई सूचना के निरंतर गैर हाजिर है और उसके द्वारा कोई भी कार्य न्यायालय में नहीं किया गया ।

कु० खुशनुमा कनिष्ठ सहायक द्वारा दिनांक- 06. 10. 2021 को आकस्मिक अवकाश का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था । न्यायालय में किसी तृतीय श्रेणी कर्मचारी के उपस्थित न होने के कारण उक्त कर्मचारी का प्रार्थनापत्र निरस्त करते हुए उसे सूचना प्रदान की गयी, जिस पर उक्त कर्मचारी ने न्यायालय आ पाने में असमर्थता व्यक्त की और उक्त कर्मचारी दिनांक- 06. 10. 2021 को कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं आयी । उक्त कर्मचारी ने आज दिनांक- 07. 10. 2021 को उपस्थिति पंजिका पर अपने हस्ताक्षर किये और दिनांक- 06. 10. 2021 को गैर हाजिर रहने व अवकाश के बावत कोई प्रार्थनापत्र पुनः प्रस्तुत नहीं किया और प्रातः काल से ही उक्त कर्मचारी भी निरंतर गैर हाजिर है । इस समय, समय लगभग 16. 10 बज रहा है ।

सूचना सादर ससम्मान प्रेषित ।

भवदीय

  
( विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 07. 10. 2021

अपर सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य  
अपर सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

सेवा में

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया  
झाँसी ।

विषय:-

आज दिनांक- 08. 10. 2021 से न्यायालय में पेशकार के रूप में कार्य करने हेतु कर्मचारी को नियुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदया

ससम्मान निवेदन करना है कि मेरे न्यायालय में कोई तृतीय श्रेणी कर्मचारी पेशकार के रूप में कार्य करने हेतु मौजूद नहीं है और कु० खुशनुमा के संबंध में माननीय महोदया को दिनांक- 06. 10. 2021 व 07. 10. 2021 को सूचित किया जा चुका है ।

अतः माननीय महोदया से निवेदन है कि मेरे न्यायालय में श्री बाल्मीकि साहू के अवकाश से वापस आने तक किसी तृतीय श्रेणी कर्मचारी को पेशकार के रूप में कार्य करने हेतु नियुक्त करने की कृपा करें ।

सादर ससम्मान ।

भवदीय

  
08.10.2021

( विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 08. 10. 2021

अपर सत्र न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

10/8

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य  
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश  
एफ0 टी0 सी0 द्वितीय ड्राँसी।  
(C/U 14<sup>th</sup> F.C.)।

सेवा में

मा0 जनपद न्यायाधीश  
ड्राँसी।

विषय

:आज दिनांक 16.10.2021 को मनोज कुमार साहू द्वितीय पेशकार द्वारा प्रातः 10:30 बजे से अभियोजन के किसी भी साक्षी का साक्ष्य अंकित न करने, मेरे द्वारा कहने के बावजूद साक्ष्य अंकित करने से स्पष्ट रूप से मना करने व अशिष्टता और अशोभनीय तरीके के पेश आने और जोर-जोर से बोलने तथा समय लगभग 12:30 बजे से निरन्तर गैर हाजिर रहने के सम्बन्ध में।

महोदया

सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 16.10.2021 को श्री संतोष कुमार दोहरे विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा प्रातःकाल में अवगत कराया गया कि गवाह सुबह से मौजूद हैं, और पेशकार से कई बार बयान लिखने के लिये कहा गया किन्तु पेशकार बयान नहीं लिख रहे हैं। न्यायालय में जो साक्षीगण मौजूद हैं उनमें 1. S.T.No. 153/18 में गवाह S.I. देवेश कुमार मेरठ से 2. S.T.No. 268/12 में गवाह S.H.O राजेश थादव लखनऊ से, 3. S.T.No. 260/19 में गवाह श्रीमती राजकुमारी, 4. S.T.No. 95/18 में गवाह श्रीमती लक्ष्मी, 5. S.T.No. 74/18 में गवाह गुपली, 6. S.T.No. 67/19 में गवाह सोनू रायकवार, 7. S.T.No. 238/19 में गवाह रानू व सुरेन्द्र, 8. S.T.No. 354/15 में गवाह तुलसीदास व शशिकान्त मौजूद हैं। यह भी अवगत कराया गया की पेशकार से बयान लिखने के कई बार कहा गया लेकिन बयान नहीं लिख रहे हैं बल्कि तेज आवाज में बोल कर कहकर चले गये मेरे पास एक ही काम नहीं है, इस समय, समय लगभग 12:15 हो रहा है।

तत्पश्चात मेरे द्वारा पेशकार को अपने विश्राम कक्ष में बुलाकर उक्त श्री संतोष कुमार दोहरे विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की मौजूदगी में कई बार साक्षीगणों के बयान लिखने को कहा गया और यह भी कहा गया कि बारह (12:00) बज चुका है, आपने अभी तक किसी भी साक्षी का साक्ष्य क्यों नहीं अंकित किया तो पेशकार द्वारा कहा गया कि वह किसी भी साक्षी का साक्ष्य अंकित नहीं करेंगे तथा पेशकार द्वारा अमर्यादित तरीके से मेरे साथ व्यवहार किया गया और तेज-तेज आवाज में कहा गया कि वह किसी भी साक्षी का साक्ष्य अंकित ही नहीं करेंगे। मेरे द्वारा पेशकार को एक नोटिस दिया गया लेकिन मेरे न्यायालय के दोनों अर्दली कमशः श्री मोहित कुमार शर्मा, श्रीमती संगीता पटेल, आशुलिपिक श्री अरुण कुमार शर्मा, कोर्ट मोडरिटर श्री अवध किशोर, पेशकार एच0सी0 जितेन्द्र कुमार थाना बरूआ सागर से भिन्न-भिन्न समयों पर पेशकार के न्यायालय में उपस्थिति के बावत आख्या प्राप्त की गयी जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि पेशकार प्रातः 12:30 बजे से न्यायालय में मौजूद नहीं है। इस समय, समय लगभग 14:00 बज रहे है, श्री मनोज कुमार साहू द्वितीय पेशकार अपरान्ह 12:30 बजे से निरन्तर गैर हाजिर है, और उनके द्वारा अभी तक किसी भी साक्षी का साक्ष्य अंकित नहीं किया गया है,

10/9

AK.

(1)

(6)

~~AK~~

और अपने कर्तव्यों का अनुपालन करने व मेरे आदेश का अनुपालन में घोर लापरवाही व शिथिलता कारित की गयी है और किसी भी साक्षी का साक्ष्य अंकित नहीं किया गया है। एक अन्य पत्रावली S.T.No. 74/18 में गवाह रामचरन मौजूद है। पेशकार द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों में जानबूझकर लापरवाही कारित करने और न्यायालय कार्यावधि में समय 12:30 बजे से निरन्तर गैर हाजिर रहने, साक्षीगणों का साक्ष्य अंकित न करने और अमर्यादित तरीके से मेरे साथ व्यवहार करने पर पेशकार के विरुद्ध नियमानुसार जाँच कर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें।

भवदीय

  
16.10.2021

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश  
एफ0 टी0 सी0 द्वितीय झॉंसी।  
(C/U 14<sup>th</sup> F.C.)।

दिनांक: 16.10.2021

संलग्नक:

1. मेरे द्वारा दिया गया नोटिस जो इस कारण तामील नहीं हुआ कि उक्त कर्मचारी अपने कार्यस्थल पर मौजूद नहीं मिला। (छायाप्रति 01)।
2. श्री संतोष कुमार दोहरे विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा दी गयी सूचना की छायाप्रति। (कुल 02)

10/10



विप्राय कस

अनामिक माल (नामिक माल) यथावत्  
ए. ए. ए. कंपनी।  
(C/U 12th Fl.)  
दि. 16-10-2021

मेरीया

vs.

श्री मनोज कुमार शर्मा (दिवादी)

विरुद्ध श्री ए. ए. ए. कंपनी (C/U 12th Fl.)

आज्ञा दि. 16.10.2021 को किराया बिल का बिल प्रस्तुत किया गया

(कै.) द्वारा किराया बिल दिया जा कि (1) डा. नं. 158/18 (2) डा. नं. 268/18 (3) डा. नं. 260/19 (4) डा. नं. 25/18 (5) डा. नं. 74/18 (6) डा. नं. 67/18 (7) डा. नं. 238/19 (8) डा. नं. 354/15

में अर्थात् क्रमशः डा. देवरा कुमाल शर्मा, डा. राजेश शर्मा (परपत्र), शीमली राजकुमारी शर्मा, सुप्री, सोनू शर्मा, राघव शर्मा, राघु व सुदीप, एवं कुलसीदास व शक्तिपाल अतः 10:30 बजे से सायं 5:00 तक

सायं शक्ति नहीं किया गया। जब मेरे द्वारा आपसे स्पष्ट साक्षी का सायं शक्ति करने के लिए कहा गया कि चारह (12) वज्र हुआ है अभी तक आपने किसी भी साक्षी का सायं शक्ति नहीं किया है।

जब आप कि आप साक्षी का सायं शक्ति ही नहीं करेंगे। आपने अपने कर्तव्य का अनुपालन नहीं किया और मेरे द्वारा साक्षी का सायं शक्ति करने के लिए कहा जाने पर आपने सायं शक्ति करने से साफ़ इन्कार कर दिया।

अतः आपका स्पष्टीकरण आप ही अर्जत करें कि साक्षी का सायं शक्ति न करने व मेरे तौर पर मोरख का आपने अनुपालन नहीं किया।

अभिवादन

अंक 12-55 वज्र

2 साक्षी और 2 प्रेषणकर्ता

न्यायालय में उपस्थित

नहीं है।  
16-10-2021

10/11

16/10/2021  
(विप्राय ए. ए. ए. कंपनी)

आज्ञा दि. 16.10.2021  
ए. ए. ए. कंपनी।  
(C/U 12th Fl.)

आपका ही  
आपने

3-15 P.M.

आज्ञा दि. 16-10-21

16-10-21

12:30 pm

16-10-21

सेवा में

सिमान्त अपर सब-मायानगीय लॉसी  
(AFC II लॉसी)

सिमान्त

निकेतन है कि मा. न्यायालय में आज 15/10/24 को निम्न उपाहृत सूचक से भोषूफु ठ कर्ष कार इतने कि वजाफु फेककार क्क्यात नु लिख रहे थे

- 1) ST 153/18 उपाहृत - ST फेकफु कुमर (मेरु)
- 2) ST-268/12 उपाहृत - SHO राजेश भादव (लखनऊ)
- 3) ST 260/19 उपाहृत - सिमिरी राजकुमारी
- 4) ST 95/18 उपाहृत - सिमिरी लक्ष्मी
- 5) ST 74/18 उपाहृत - उपली
- 6) ST 67/19 उपाहृत - सोनू मथकवार
- 7) ST 238/19 उपाहृत - शरू
- 8) \_\_\_\_\_ सुन्दर
- 9) ST 354/15 उपाहृत - नल सीषाम
- 10) \_\_\_\_\_ अशिकात

इस कार क्क्यात लिखते कि इतने घर क्क्यात नु लिख रहे थे वलिक्त तेक क्क्यात मे केले का क्क्यात नु चहे गेच मेरे पास एक ही क्क्यात नु है इतक 12:15 AM

थ

10/12

सन्तोष कुमार दोहरे  
A.D.G.C. (Cr.)  
न्यायालय A.S.J./FIC-II  
झोंसी (उ.प्र.)  
मो-9415502206

सेवा के

माननीय अवर सहाय्याधीन अधिकारी / F.T.C / P.N.F.C  
इलाहाबाद

आज पत्रावली, आप के द्वारा दिनांक 16.10.21 को 8 राजकीय पत्रावली के  
में साथ में भेजे जाने के सबत दिनांक 16.10.21 के संदर्भ  
में स्पर्धी करके विचार किया है।

1) प्राचीन-आपालय में प्रान्त: 9.40 AM पर आ गया था लक्ष्मी-  
आपालय जिगाज जो कि प्राचीन के आवकाता आवकाता में इस आपालय में  
पेसा कर के कार्य हेतु कार्यरत था (जैसा कि उसके उनके द्वारा बताया  
गया) ने आपालय की-जागी दी लक्ष्मी-प्राचीन प्राचीन इस आपालय  
में कार्यरत लिफ्टिंग गाड़ी और बालीके साइड व कुछ रकबा-मुद्रा का  
इन्तजार करना रहा फलतः वे दोनों अनुपस्थित रहे और कोई भी  
पत्रावली दिनांक 16.10.21 की नियत-आपालय में उपलब्ध नहीं  
थी और प्राचीन प्राचीन 10 दिन के अर्जिन आवकाता के उपरान्त  
आया था इस लिये वह स्वयं भी पत्रावली का आपालय से  
नहीं निकाल सका।

2) करीब 11.30 बजे इस आपालय में कार्यरत-धर्म्य श्रेणी कार्यरत  
और मोहिन शर्मा और मान जी के बगले से आये सब उसने आपालय  
से पत्रावली का निकाल कर दी सब प्राचीन द्वारा पत्रावली का  
मिलान काज लिए से भिजे जाने लगा। उसी समय कोई स्टाव  
हवा बयान लिखने के लिये कहा गया तो भरे द्वारा उनसे  
निवेदन किया गया कि पत्रावली का मिलान कर लू जिससे  
की कोई पत्रावली आपालय में हूट न गड़ हो। व अभी 10 मिनट के  
बयान लिखता हूँ।

3) इसी दौरान (कुछ समय परन्तु) श्रीमान जी द्वारा प्राचीन का-केबल  
में बुलाया गया और बयान लिखने के लिये कहा गया तो भरे द्वारा  
निवेदन किया गया कि पत्रावली का मिलान करके बयान लिखता हूँ  
मगर श्रीमान जी द्वारा उसे बुरी तरह डाटना शुरू कर दिया गया

10/14

जिस  
से

व अपशब्द लदे जाने लगे जिस कारण जार्जो मानसिक रूप से परेशान होये लगे व उसकी लारिमत बिगाडने लगी और जार्जो ने जीवन्तु ही से कहा कि अभी थोड़ी देर में वयान लिखना शुरू करे मैं ग्यासालय के आ गारा वहा बैठ कर मैंने अपने आप को थोडा संगठित किया परन्तु जार्जो की लारिमत और बिगाडने लगी व जार्जो जानतीय जनपद ग्यासालीक महोदय से मिलने के लिये ग्यासालय से निकला परन्तु वहा पहुचने से पहले ही लारिमत जरादा बिगाडने लगी तो इस ग्याथिक आर्किठडान सिवार्ड डिस्पेसरी में दिखाने चला गया वहापर पहुचने पर उपस्थित डाक्टर ने मेरा B.P. चेक किया तो उन्होने बताया कि आप का BP बहुत हाई है अर्थात 188/94 RBS 188 है व उन्होने एक पर्ची में ची लिख कर दिया और कहा कि आप तुस्त किसी डाक्टर को दिख कर दवा लिजिए मेरे पास इसकी दवा नहीं है फिर मेरे ह्दय कहा गया कि आप रिफर कर दीजिए तो उन्होने कहा मेरे पास रिफर करने का कार नहीं है। लेकिन आप लापरवाही न करे। तबदाल डाक्टर को दिखाने लदोपान्त में प्रशासनिक कार्यालय गया व अपना हाल प्रशासनिक अधिकारी को बताया व जानतीय जनपद ग्यासालीक महोदय से मिलने के लिये निकल निकल गया तो उन्होने मुझे शान्त बैठने को कहा और थोड़ी पिल्लवाया थोड़ी देर बाद मुझे अचानक कराया गया कि जानतीय जज साहब अभी व्यस्त है इस कारण उनसे मुलाकात नहीं हो पाईगी मुझे जो कहा हो लिखित रूप में दे दी जा वही बैठ कर मेरे ह्दय एक पर्चा का लिखकर प्रशासनिक कार्यालय में दिया गया।

(4) लदोपान्त जार्जो डाक्टर के सलाह के अनुसार जिला चिकित्सालय जाने से पहले एक पर्चा पत्र श्रीमान जी को भेज दिया के द्वारा इस आशय का प्रोजवाया कि जार्जो डाक्टर को दिखाने जय रहा है।

10/15

(3)

जिसके लिये श्रीमान जी अनुमति प्रदान करें। और प्रार्थना जिला  
मैजिस्ट्रेट के कार्यालय की सेवा में प्रार्थना है।  
कमोडि प्रार्थना की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अकेले गांड़ी  
चला के अस्पताल चला जाता वहा पर डाक्टर को दिखाया  
उन्होंने इन्जेक्शन लगाया और दवा लिखी और दो और  
कारण करने की सलाह दी और मानसिक तनाव से बचने  
के लिये कहा।

5) इस सब में काफी समय व्यतीत हो गया व प्रार्थना उसके

बचद लगाकर सेवा तीन बजे अस्पताल पहुँचा व श्रीमान  
जी से अनुमति लेकर प्रार्थना हुआ उक्त नोटिस में आंकड़ों को

(2) S.J. अर्थात् सजा परीक्षण सं० 153/18 सरकार बनाम सुनील  
रायचंद व सजा परीक्षण सं० 268/12 संवेदन प्रत्यक्ष में बयान  
में हाश लिखा। प्रार्थना: उक्तानुसार स्पष्टीकरण  
माननीय महोदय की सेवा में सादर प्रस्तुत है।

दिनांक 18.10.21

प्रार्थना

मनोज कुमार शर्मा IInd  
पं.सं. 12

अध्यापक अवर सहायक प्रमुख/FTC  
1474 FC इलाहाबाद।

10/16

विश्राम कक्ष:

न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश  
एफ0 टी0 सी0 द्वितीय झॉंसी।

(C/U 14<sup>th</sup> F.C.)।

दिनांक: 16.10.2021

नोटिस

बनाम

श्री मनोज कुमार साहू (द्वितीय) पेशकार

विषय :आज दिनांक 16.10.2021 को आपके द्वारा प्रातः 10:30 बजे से किसी साक्षी का साक्ष्य अंकित न करने और अपरान्ह अपरान्ह 12:30 बजे से अपरान्ह 15:15 बजे तक आपके निरन्तर गैर हाजिर रहने के सम्बन्ध में।

आपको अवगत कराया जाता है कि आज दिनांक 16.10.2021 को आपने प्रातः 10:30 बजे से अपरान्ह 15:15 बजे तक कोई भी सरकारी कार्य नहीं किया, न ही किसी साक्षी का साक्ष्य अंकित किया। अपरान्ह 12:30 बजे से अपरान्ह 15:15 बजे तक आप बिना किसी सूचना के निरन्तर गैर हाजिर रहे।

आपने समय अपरान्ह 14:10 बजे किसी अज्ञात व्यक्ति के माध्यम से न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र इस आशय का भिजवाया कि आपकी तबियत खराब हो रही है, जिस कारण आपने न्यायिक अधिष्ठान में स्थित डिस्पेन्सरी में डाक्टर को अपना बी0 पी0 चेक कराया जिन्होंने तत्काल डाक्टर को दिखाने की सलाह दी, पुनः आपने यह कहा कि आप डाक्टर को दिखाने जा रहे हैं, और आपको अनुमति प्रदान की जाए। अतः आप निम्नलिखित बिन्दुओं के बावत अपना स्पष्टीकरण दिनांक 18.10.2021 तक स्पष्ट करें:-

1. आपने प्रातः 10:30 बजे से अपरान्ह 12:30 बजे तक किसी भी साक्षी का साक्ष्य विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) व मेरे कहने के बावजूद क्यों नहीं अंकित किया?
2. आपने न्यायिक अधिष्ठान में स्थित डिस्पेन्सरी में डाक्टर को दिखाने के बावत कोई अनुमति न्यायालय से क्यों नहीं ली?
3. यदि आप अस्वस्थ थे तो आपने कार्यभार ग्रहण ही क्यों किया?
4. आप समय अपरान्ह 12:30 बजे से समय लगभग 15:15 बजे तक किस-किस स्थान पर और कितनी देर तक उपस्थित रहे?
5. आपने माह सितम्बर 2021 व माह अक्टूबर 2021 में जो भी अर्जित अवकाश/ चिकित्सीय अवकाश लिया है, वह आपने न्यायिक कार्य में व्यवधान कारित करने के आशय से ही लिया है क्यों न उनकी जाँच सी0एम0ओ0 से कराये जाने के बावत मा0 जनपद न्यायाधीश महोदय को पत्र प्रेषित किया जाए।

दिनांक: 16.10.2021

10/17

म.क.

4

(विमल प्रकाश आर्य)

अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश  
एफ0 टी0 सी0 द्वितीय झॉंसी।

Recd  
16.10.21  
5.00 PM

o/c

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य

अपर जिला न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत गठित) ।

सेवा में

माननीय जनपद न्यायाधीश महोदया  
झाँसी ।

विषय:-

श्री मनोज कुमार साहू- द्वितीय के गैर हाजिर रहने के संबंध में ।

महोदया

ससम्मान निवेदन करना है कि श्री मनोज कुमार साहू- द्वितीय कार्यों के प्रति घोर लापरवाही व शिथिलता कारित कर रहे हैं और न्यायिक कार्य में कोई सहयोग प्रदान नहीं कर रहे हैं । उक्त कर्मचारी पूर्व की भाँति आज भी बिना किसी सूचना के गैर हाजिर है । उक्त कर्मचारी के इस प्रकार गैर हाजिर रहने से न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है, जबकि उक्त कर्मचारी को इस बात की पूर्ण जानकारी है कि इस न्यायालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारी कु० खुशनुमा ( लिपिक) अर्जित अवकाश पर है, उसके बावजूद उक्त कर्मचारी बिना किसी सूचना के गैर हाजिर है । चूँकि प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पावती नहीं दी गयी है, इस कारण पुनः सूचना प्रेषित की जा रही है ।

सूचना सादर ससम्मान प्रेषित ।

भवदीय



( विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 20. 10. 2021

अपर जिला न्यायाधीश ( त्वरित न्यायालय) झाँसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित) ।

10/18

# वकाश के लिए व नगदीकरण के लिए आवेदन

(Form of Application For the Encashment leave)

CE :  
hansi  
Marg  
9422

टिप्पणी (1) भद 1 से 10 तक की प्रविष्टियां सभी आवेदकों द्वारा चाहे वे राजपत्रित अधिकारी न हों अराजपत्रित कर्मचारी द्वारा ही भरा जायेगा।  
(2) भद 10 केवल अवकाश में नगदीकरण के मामले पर होगी।

2021

- (1) आवेदक का नाम मनोज कुमार साहू 'दिनेश'  
 (2) लागू अवकाश नियम कलन्डर  
 (3) पद का नाम डीडी (पेनानर)  
 (4) विभाग कार्यालय डीडी सहायक/एटीसी/एटीसी जिला जंजी इन्सु  
 (5) वेतन 52000/2  
 (6) अवकाश किस दिनांक से किस दिनांक तक 20.10.21 से 29.10.21 तक

आपेक्षित है तथा उसकी प्रकृति मानसिक स्थिति की प्रकृति है

- (7) अवकाश मांगे जाने का कारण डायर का मानसिक स्थिति की प्रकृति की वजह से  
 (8) पिछली बार अवकाश किस दिनांक 06.10.21 से 15.10.21 तक लिया गया उसकी प्रकृति मानसिक  
 (9) अवकाश की अवधि में पता डीडी सहायक जंजी इन्सु  
 (10) ख) क्या 30 दिन एक माह अर्जित अवकाश औसत वेतन अवकाश का नगदी करण अपेक्षित है।  
 ख) क्या चालू कलन्डर वर्ष में इसके पूर्व अवकाश लिया गया

आवेदक 10.21  
हस्ताक्षर

- (11) अग्रसारण अधिकारी की अभियुक्ति स्तुति उपरोक्त कार्य में जो कार्य है उसे करने के लिए प्रस्ताव में डायर को वाकफ में डीपी की जा चुकी है जिसे वाकफ में डीपी के बाद डायर को डायर इका, विद्युत कालम उपलब्ध कराने है  
 दिनांक 20.10.21 पद का नाम डीडी सहायक

- (12) फाईनेन्शियल हैड बुक खण्ड 2 भाग 2 से 4 के सहायक नियम 81 के अनुसार प्राधिकारी की रिपोर्ट।  
 क) प्रमाणित किया जाता है कि फाईनेन्शियल हैड बुक खण्ड 2 के भाग 2 से 4 के मूल नियम या किस सहायक नियम कलन्डर के अधीन तक आवेदित अर्जित अवकाश/औसत वेतन पर अवकाश देय है।  
 ख) प्रमाणित किया जाता है कि भद 10 पर आपेक्षित अवकाश के नगदीकरण की सुविधा अनुमत्त है।  
 दिनांक 10/19 हस्ताक्षर हस्ताक्षर

अवकाश तथा अवकाश की नगदी करण स्वीकृति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश दिनांक


हस्ताक्षर  
पद का नाम  
हस्ताक्षर  
पद का नाम

10/19



दिनांक- 20. 10. 2021

माननीय महोदया उक्त कर्मचारी के कार्य, व्यवहार व आचरण के संबंध में मेरे द्वारा पूर्व में अवगत कराया गया है और उक्त कर्मचारी अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन सही से नहीं कर रहा है और न्यायिक कार्य में जानबूझकर व्यवधान कारित कर रहा है। उक्त कर्मचारी द्वारा पूर्व में लिये गये अर्जित अवकाश के बावत महोदया से निवेदन है कि इस बावत मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से उनके पैनल द्वारा जाँच कराने की कृपा करें तथा उक्त कर्मचारी द्वारा दिनांक- 20. 10. 2021 से 29. 10. 2021 तक मानसिक स्थिति ठीक न होने के बावत अर्जित अवकाश हेतु निवेदन किया है। इससे ज्ञात होता है कि उक्त कर्मचारी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह न्यायालय में कार्य करने हेतु समर्थ नहीं है और उक्त कर्मचारी की मानसिक स्थिति की भी विशेषज्ञ द्वारा जाँच कराने की कृपा करें।

  
20.10.2021  
( विमल प्रकाश आर्य )

अपर सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झांसी

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।  
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

सेवा में

श्रीमान जनपद न्यायाधीश  
झाँसी।

विषय:-

श्री मनोज कुमार साहू (द्वितीय) लिपिक के दिनांक 26. 02. 2022 को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के मुख्यालय से बाहर चले जाने व अर्द्ध शासकीय पत्रांक सं०- 11/D. J. / 2022 दिनांकित 22. 02. 2022 के बावत मेरे द्वारा तलब की गयी आख्या दिनांक 28. 02. 2022 तक प्रस्तुत न किये जाने के संबंध में।

महोदया


सादर अवगत कराना है कि श्रीमान जी के अर्द्ध शासकीय पत्रांक सं०- 11/D. J. / 2022 दिनांकित 22. 02. 2022 के प्रकाश में मेरे द्वारा उक्त कर्मचारी को दिनांक 22. 02. 2022 को अनुपालन करने हेतु नोटिस प्रेषित किया गया था।

उक्त कर्मचारी ने दिनांक 28. 02. 2022 को अथवा उससे पूर्व मुझे, मेरे नोटिस के अनुपालन में कोई आख्या प्रस्तुत नहीं की।

दिनांक 26. 02. 2022 को चतुर्थ शनिवार के दिवस उक्त कर्मचारी न्यायालय में उपस्थित रहा, किन्तु जब श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०- 1 झाँसी द्वारा न्यायालय का आकस्मिक निरीक्षण किया गया उस समय उक्त कर्मचारी मौजूद नहीं पाया गया। उक्त कर्मचारी ने दिनांक 26. 02. 2022 को मुख्यालय से बाहर रहने के बावत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, किन्तु उक्त तिथि पर सक्षम प्राधिकारी से मुख्यालय छोड़ने की कोई अनुमति प्राप्त नहीं की और मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्राप्त किये बिना उक्त कर्मचारी मुख्यालय छोड़कर चला गया। उक्त कर्मचारी का मुख्यालय छोड़ने से बाहर रहने का प्रार्थनापत्र दिनांक 28. 02. 2022 को मेरे समक्ष प्रस्तुत हुआ, जबकि उक्त कर्मचारी दिनांक 26. 02. 2022 को श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०- 1 झाँसी द्वारा न्यायालय का आकस्मिक निरीक्षण किये जाने के समय ही न्यायालय से जा चुका था। उक्त कर्मचारी को इस तथ्य की भी पूर्ण जानकारी थी कि दिनांक 28. 02. 2022 को इस न्यायालय का वार्षिक निरीक्षण मा० महोदया द्वारा किया जाना है, उसके बावजूद उक्त कर्मचारी दिनांक 28. 02. 2022 को गैर हाजिर रहा।

उक्त कर्मचारी ने आज दिनांक 02. 03. 2022 को, दिनांक 28. 02. 2022 का आकस्मिक अवकाश प्रदान किये जाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया है। चूँकि उक्त कर्मचारी दिनांक 26. 02. 2022 को बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय से बाहर जा चुका था। अतः उक्त कर्मचारी का आकस्मिक अवकाश का प्रार्थनापत्र इस पत्र के साथ मूल रूप से संलग्न कर सूचना / उचित आदेश हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

भवदीय

  
02.03.2022  
(विमल प्रकाश आर्य)

दिनांक- 02. 03. 2022

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।  
(चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

नोट:- दिनांक 02. 03. 2022 को कार्यालय की डाक बही में क्र० सं०- 4 पर चढ़वाकर भिजवाया गया।

(10/03)

विश्राम कक्ष:

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झांसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

दिनांक: 02. 03. 2022

नोटिस

बनाम

1. श्री न. ग. ज. कुमार साहू ( द्वितीय ) लिपिक ।

विषय : दिनांक 26. 02. 2022 को श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०- 1 झांसी के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान आपके गैर हाजिर रहने और बिना न्यायालय की अनुमति प्राप्त किये दिनांक 26. 02. 2022 को मुख्यालय से बाहर रहने के संबंध में ।

आपको अवगत कराना है कि दिनांक 26. 02. 2022 को जब श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष सं०- 1 झांसी द्वारा इस न्यायालय का आकस्मिक निरीक्षण किया और आकस्मिक निरीक्षण के समय प्रशासनिक अधिकारी व केन्द्रीय नाजिर एवं अन्य कर्मचारीगण भी मौजूद थे, लेकिन आप मौजूद नहीं पाये गये थे । दिनांक 28. 02. 2022 को मेरे समक्ष आपका प्रार्थनापत्र बावत मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति के संबंध में प्रस्तुत किया गया, तब ज्ञात हुआ कि आपके उक्त प्रार्थनापत्र पर कोई आदेश पारित नहीं हुआ और आप दिनांक 26. 02. 2022 को बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय से बाहर जा चुके थे । इस तथ्य की आपको भली-भाँति जानकारी थी कि दिनांक 28. 02. 2022 को श्रीमान जनपद न्यायाधीश द्वारा इस न्यायालय / कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया जाना है, उसके बावजूद आप बिना अनुमति प्राप्त किये मुख्यालय से बाहर चले गये और दिनांक 28. 02. 2022 को गैर हाजिर भी रहे ।

अतः आप अपना स्पष्टीकरण लंच से पूर्व मेरे समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय को इस बावत सूचित किया जा सके ।

दिनांक: 02. 03. 2022

( विमल प्रकाश आर्य )

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ( F. T. C. ), झांसी ।  
( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित ) ।

10/22

सेवा के

माननीय जलप-वायुमंडल/FTCI 4th FC  
कॉन्सी।


महोदय,

विद्युत विवेक है कि प्रार्थना की बंधी कोडमादा  
नविपत रक्षाव हो जाने के कारण प्रार्थना  
दिनांक 28.2.22 को कार्य लय 34/1/2022  
नही हो सके।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि  
प्रार्थना के दिनांक 28.2.22 को आधिकारिक  
अवकाश प्रदान करने की कृपा करें।

श्रीमान जी की आर्ति कृपा हो।

दिनांक : 2.3.22

  
02.3.22

आमना,  
प्रार्थना के लिए  
श्रीमान जी से  
शेक हो। 02-3-22

माननीय जलप-वायुमंडल/FTCI 4th FC  
कॉन्सी।

प्रेषक

विमल प्रकाश आर्य

अपर सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

सेवा में

श्रीमान जनपद न्यायाधीश

झाँसी।

विषय:-

श्री मनोज कुमार साहू ( द्वितीय) वरिष्ठ सहायक का अर्जित अवकाश का प्रार्थनापत्र वापस प्राप्त होने के संबंध में सूचना।

महोदया


सादर अवगत कराना है कि मेरे न्यायालय में कार्यरत श्री मनोज कुमार साहू ( द्वितीय) वरिष्ठ सहायक द्वारा दिनांक 30. 03. 2022 को अर्जित अवकाश का प्रार्थनापत्र न्यायालय में प्राप्त होने पर, संबंधित पेशकार द्वारा मुझ अधोहस्ताक्षरी से अग्रसारित कराकर प्रशासनिक कार्यालय भिजवाया गया था, जिसे श्री मनोज दीक्षित लिपिक ने अपने पास रखने के पश्चात वापस कर दिया।

यह भी अवगत कराना है कि श्रीमान जी द्वारा दिनांक 02. 03. 2022 को किया गया वार्षिक निरीक्षण जो मेरे न्यायालय में दिनांक 24. 03. 2022 को प्राप्त हुआ, जिसके प्रकाश में मुझ अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 25. 03. 2022 को प्रशासनिक आदेश पारित किया और अनुपालन हेतु संबंधित कर्मचारीगण ने नोट किया, जिसकी एक प्रति श्रीमान जी के कार्यालय में भी भिजवायी गयी। मुझ अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त वार्षिक निरीक्षण के अनुपालन में पारित प्रशासनिक आदेश में दिये गये दिशा - निर्देशों का मेरे न्यायालय के कर्मचारीगण द्वारा अभी तक अनुपालन नहीं किया गया और उक्त कर्मचारी के अवकाश पर रहने के कारण श्रीमान जी के आदेश का अनुपालन नियत समय में संभव नहीं हो पा रहा है।

सूचना सादर ससम्मान प्रेषित।

दिनांक- 31. 03. 2022

भवदीय



( विमल प्रकाश आर्य)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (F. T. C.) झाँसी।

( चौदहवीं वित्त आयोग योजनान्तर्गत द्वारा गठित)।

नोट:- दिनांक 31. 03. 2022 को कार्यालय की डाक बही में क्र० सं०- 4 पर चढ़वाकर भिजवाया गया।